# बैंक, बिल्डर और इंश्योरेंस कंपनी में सांठगांठ उजागर

## फ्लैट खरीदार की शिकायत पर रेरा ने कसा शिकंजा

**राज्य ब्यूरो, पटना :** सरकार की तमाम सख्ती की अनदेखी कर बिल्डर फ्लैट खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्डर से साठगांठ कर बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां भी धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा कर रही है। रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), बिहार की जांच में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और बिल्डर की करतूत उजागर हुई है। रियलाइस रीयल कॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एम्स के पास एक्जोटिका अपार्टमेंट बना रही है।

12 मंजिला अपार्टमेंट में अभी पहली मंजिल का काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बिल्डर ने छठे मंजिल पर बुक फ्लैट के लिए 45 लाख के लोन में से 33 लाख रुपये से अधिक बैंक से लिया है। यानि की फ्लैट की कीमत का 75 फीसद से ज्यादा राशि ले चुका है। जबकि रेरा के नियमानुसार बिल्डर को अधिकतम 30 फीसद राशि ही लेनी चाहिए थी।

दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) ने होम लोन के साथ ही इंश्योरेंस भी कर दिया। यही नहीं, फ्लैट बना नहीं इससे पहले इंश्योरेंस का प्रीमियम भी वसूल कर लिया। इसी तरह बैंक ने तय समय सीमा से पहले लोन की राशि बिल्डर को भुगतान भी कर दिया। रेरा के डबल बेंच कोर्ट के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ. एसबी सिन्हा की जांच में मामले का पर्दाफाश हुआ है। रेरा की चेतावनी के बाद बिल्डर, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने गलती स्वीकार कर ली है। फ्लैट इंश्योरेंस प्रीमियम भी लौटा दिया है।

- रेरा की जांच में एसबीआइ होम लोन व इंश्योरेंस कंपनी पाई गई गड़बड़ी
- बैंक ने तय समय सीमा से पहले लोन की राशि बिल्डर को भुगतान भी कर दिया

### बैंकों की आड़ में बिल्डर कर रहे गड़बड़ी

रेरा की कई जांच में यह भी सामने आया है कि बिल्डर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से परियोजना का लोन मंजूर होने का भरोसा देकर गड़बड़ी कर रहे हैं। जबकि हकीकत है कि संबंधित बैंक से परियोजना मंजूर नहीं होती है। यही नहीं, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य पूरा किए बगैर आर्किटेक्ट से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं। अर्ध निर्मित अपार्टमेंट को पूर्ण दिखाकर फ्लैट की रजिस्ट्री भी कर रहे हैं। रेरा की जांच में तमाम गड़बड़ियां सामने आई है। महत्वपूर्ण यह है कि कई बिल्डर प्रॉपर्टी ब्रोकर, प्रमोटर और डेवलपरों की मनमानी की रेरा को शिकायत मिल रही है।